एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8689/2006
श्रीमती गीतादेवी व अन्य बनाम भंवर सुथार व अन्य

14.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री जे.पी.गुप्ता, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।
श्री नितिन जैन, अधिवक्ता अयाची सं.4 की ओर से।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

याचिकाकर्तागण ने इस रिट याचिका में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.93 जिसके द्वारा उनका दावा अदम हाजरी में निरस्त कर दिया गया था तथा तत्पश्चात पारित आदेश दिनांक 24.4.2006 जिसके द्वारा उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 दीवानी प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया था, को चुनौती दी है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा खण्डपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 945/2002 दी ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम श्रीमती सम्पत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.9.2004 की ओर आकर्षित किया। उक्त निर्णय में खण्डपीठ ने यह निर्धारित किया है कि यदि दुर्घटना दावे को अदम हाजरी में खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दावा बिना गुणावगुण पर निर्णय किये ही निरस्त हो जायेगा तथा उससे याचिकाकर्ता के हितों पर भारी कुठाराघात होगा और यदि दावे का पुनर्जीवन किया जाता है तो बीमा कम्पनी को कोई हानि होने की संभावना नहीं है क्योंकि उन्हें भी कार्यवाही में भाग लेने का अवसर मिलेगा। खण्डपीठ ने इस निर्णय में यह निर्धारित किया है कि ऐसी परिस्थितियों में दावे का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये, उसे तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिये।

मेरे विनम्र मत में प्रकरण में उठाये गये बिन्दु खण्डपीठ के उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित हैं। अत: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.93 एवं उसके पश्चात पारित आदेश दिनांक 24.4.2006 को निरस्त करते हुए दावे को पुन: स्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में आगामी कार्यवाही संबंधित अधिकरण द्वारा की जावे। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिकरण के समक्ष दिनांक 11.6.2007 को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित हों।

यह याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति